शनिवार, 11 सितंबर 2010 नई दिल्ली हिन्दुस्तान

रेलकर्मियों के बच्चों को मिलेगी नौकरी

लखनऊ। रेलकर्मी अब 57 साल की उम्र तक नौकरी करने के बाद अपने एक बच्चे को रेलवे में नौकरी दिला सकेंगे। रेलवे उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद उनके एक बालिग बच्चे को 1800 के पे ग्रेड में नौकरी दे देगा। इस मामले में

वीआरएस के बदले

- एआईआरएफ की मांग पर रेलमंत्री ममता बनर्जी ने किया निर्णय
- 1800 रुपये के पे ग्रेड में बालिग पुत्र को दिला पाएंगे नौकरी

ऑल इण्डिया रेलवे मेन्स फेडरेशन व जेसीएम की बैठक में तैयार किए गए प्रस्ताव को रेलमंत्री ममता बनर्जी ने मान लिया है।

ऑल इण्डिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के केन्द्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्र ने शुक्रवार को बताया कि 'लार्जेज' नामक इस योजना को संशोधित करके लागू किए जाने से देश के लाखों रेलकर्मियों के बच्चों को नौकरी मिलने में आसानी हो जाएगी। मिश्र ने बताया कि अब तक यह सुविधा केवल संरक्षा कैटेगरी के कर्मचारियों तक ही सीमित थी। तत्कालीन रेलमंत्री नीतीश कुमार ने कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी देने के लिए उस समय जो योजना बनाई थी वह रेलकर्मियों को पसंद नहीं आ रही थी।

रेलवे मेन्स फेडरेशन ने उस योजना को सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए लागू करने पर रेलमंत्री के सामने प्रस्ताव रखा। रेलमंत्री ने आदेश जारी कर दिए हैं। मिश्र ने बताया कि दो महीने बाद इस निर्णय के लागू होने के पश्चात रेलवे में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आने वाले आवेदनों की समीक्षा की जाएगी। इससे रेल कारखानों के कर्मचारियों को भी अपने बच्चों को नौकरी दिलाने की सुविधा मिल जाएगी।

केयर लीव से शर्तें हटीं

रेलवे ने महिला कर्मियों को बच्चे की परवरिश के लिए नौकरी में दो साल की वेतन सहित चाइल्ड केयर लीव देने के आदेश में लगाई गईं शर्तें हटा ली हैं। अब महिला कर्मचारियों को यह विशेष छुट्टी सभी छुट्टियां शेष रहने के बावजूद मिल सकेंगी। सरकार के कार्मिक मंत्रालय के निर्देश के बाद रेलवे में भी यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।